अर्शदीप बरार
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

29/4/2022

[illegible] वकील उपस्थित अधिवक्ता
पत्रावली अवलोकन [illegible] । पत्रावली का
अवलोकन किया कि विवादग्रस्त भूमि ख.नं.
बाबत माननीय [illegible] विचाराधीन है। किन्तु
उस रेफरेंस के चलते न तो इस न्यायालय की कोई
कार्यवाही पर रोक है ना ही यह वाद Res subjudice/
Res-Judicata की श्रेणी में आता है। अतः प्रस्तुत
राजीनामे, रिकॉर्ड के आधार पर [illegible]
[illegible] घोषित किया जाता है तथा TDR [illegible]
को आदेशित किया जाता है कि [illegible] वह उक्त
घोषणा अनुसार जमाबन्दी में नोट अंकित की जावे।
नामान्तकरण की कार्यवाही अन्य न्यायालयों के स्थगन
आदेशों के अनुसार नियमानुसार ही की जावे। [illegible]
निर्णय [illegible] [illegible] जावे
जाए। मुताबिक निर्णय [illegible] जारी की
जावे। पत्रावली [illegible] दाखिल
[illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 29/4/22 खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

(आई.ए.एस.)
अर्शदीप बरार
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती अरशदीप बराड(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 101/2015

रामू पुत्र दूल्हा जाति अहीर निवासी ग्राम चक बासडी, पटवार हल्का सरना डूंगर, तहसील व जिला जयपुर ।

............वादी

बनाम

1. गैरू पुत्र कल्याण
2. सेडू पुत्र कल्याण
3. सीताराम पुत्र कल्याण
4. बोदू पुत्र कल्याण
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम चक बासडी पटवार हल्का सरना डूंगर तहसील व जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक:- 29/04/2022

निर्णय

वादी अधिवक्ता ने दिनांक 28.08.2015 को वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसका सार निम्न प्रकार है:-

आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम चक बासडी पटवार हल्का सरना डूंगर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड़ तहसील व जिला जयपुर में स्थित हैं, जिसके 1/2 हिस्से का काबिज रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार वादी, 1/4 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं 1/4 हिस्से कर लादू पुत्र नारायण राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज चले आये हैं। जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 में इसका उल्लेख हैं। उक्त आराजीयात का राजस्व भू-अभिलेखों में एक ही खाता हैं। उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 34, 45, 52, 57 में से आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में निहित वादी ने अपने हिस्से 1/2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20/12/1995 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को विक्रय कर दी, जिसके आधार पर आराजी खसरा नम्बर 52 में निहित वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण संख्या 81 तस्दीक किया जाकर उसका जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 में नोट लगाकर अमल कर दिया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हक में पंजीबद्ध कराये गये उक्त विक्रय पत्र व उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 81 के आधार पर खसरा नम्बर 52 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के 3/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन सहवन से राजस्व कारकूनान ने आगे की जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 बनाते समय उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर 34, 45, 57, 52 कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा के 3/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दी तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी लादू पुत्र नारायण के नाम यथावत दर्ज रखी है। राजस्व कारकूनान ने खसरा नम्बर 34, 45, 57 कुल किता 3 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा में निहित वादी के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से सहवन से व त्रुटिवश गलत दर्ज कर दी। उसका 3/4 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है जबकि इन खसरा नम्बरान् के 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम, 1/4 हिस्से की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करनी चाहिए थी। जिसको वादी दुरुस्त कराकर आराजी खसरा नम्बर 34, 45, 57 कुल किता 3 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अतः वाद पत्र पेश कर वादी ने अनुतोष चाहा कि, वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय से कि जावें कि आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 57 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चक बासडी पटवार हल्का सरना डूंगर तहसील व जिला जयपुर के 1/2 हिस्से का वादी काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का उक्त आराजी मे 1/4 हिस्सा ही है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि प्रश्नगत आराजीयात् को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बय, मुन्तिकल न करें, न वादी के कब्जे काश्त एवं दीगर प्रत्येक प्रकार के उपयोग एवं उपभोग में बाधा कारित करें। उक्त कृत्य प्रतिवादीगण न स्वयं कारित करें न अन्यों से करावें।

वाद पत्र दर्ज कर सभी पक्षकारान की तामील करवायी गई। वाद तामील प्रतिवादी सं0 1 से 4 ने दिनांक 23.05.2016 को उपस्थित हो राजीनामा पेश कर अभिवचन किये कि आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 52 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम – चक बासडी पटवार हल्का सरना डूंगर तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से का काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादी, 1/4 हिस्से के प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 एवं 1/4 हिस्से लादू पुत्र नारायण राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आये हैं।

उक्त आराजीयात में से आराजी खसरा नं0 34, खसरा नं0 45, खसरा नं0 57 कुल किता 03 कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा में 1/2 हिस्सा वादीगण का तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 ही है, प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 सहवन से गलत दर्ज हो गया है, जिसको वादीगण द्वारा दुरूस्त कराने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण वादीगण का हक हिस्सा दुरूस्त कराने हेतु सहमत होने से वादी का वाद दोनों पक्षकारों में सहमति से व राजीनामा से वादी का वाद डिक्री किया जावें।

उक्त वाद पत्र तहसीलदार जयपुर को बिन्दुवार टिप्पणी पेश करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 17.09.2020 को तहसीलदार जयपुर द्वारा निम्नलिखित बिन्दुवार रिपोर्ट पेश कर उल्लेख किया गया कि:

1. ग्राम–चकबासडी के खसरा नं0 34, 45, 52, 57 की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2047–50 के अनुसार भैरू, सेडू, सीताराम, बोदू पि0 कल्याण हि0 1/4, लादू पुत्र नारायण हि0 1/4, रामू पुत्र दूल्हा हि 1/2 कौम अहीर सा0देह के नाम से दर्ज थीं।
2. जमाबंदी संवत् 2051–54 के अनुसार ख0नं0 34, 45, 52, 57 की खातेदारी भी उक्तानुसार (उपरोक्त) दर्ज हैं। जिसमें नामा0सं0 81 के नोट का अंकन है। नामा0सं0 81 के द्वारा ख0नं0 52 में रामू पुत्र दूल्हा हि0 1/2 कौम अहीर ने विक्रय पत्र द्वारा अपने हिस्से 1/2 का बेचान भैरू सेडू सीताराम बोदू पि0 कल्याण हि0 1/2 जाति अहीर को कर दिया।
3. पुनः जमाबंदी संवत् 2055–58 में नामा0 सं0 [illegible] अंकित है।
4. जमाबंदी संवत् 2059–62 [illegible] ख0नं0 34, 45, 52, 57 की खातेदारी भैरू [illegible] कल्याण हि0 3/4, लादू पुत्र नारायण हि0 1/4 कौम अहीर सा0देह दर्ज हो ग[illegible]
5. चूंकि नामा0 सं0 81 द्वारा मात्र ख0नं0 52 में बेचान किया गया था अतः नोट का अंकन भी ख0नं0 52 में ही किया जाना उचित था। परन्तु सहवन से ख0नं0 34, 45, 57 में भी नामा0 सं0 81 से हुये बेचान का इन्द्राज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आ.प्र.से.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

6. वर्तमान में ख0नं0 52 पर भैरू सेंडू सीताराम बोदू पि0 कल्याण व लादू पुत्र नारायण के वारिस काबिज है व शेष ख0नं0 34, 45, 57 पर उपरोक्त के अलावा रामू पुत्र दूल्हा के वारिस भी काबिज है।

7. अतः वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–78 मे ख0नं0 34, 45, 57 में रामू पुत्र दूल्हा हि0 1/2, भैरू सेडू सीताराम बोदू पि0 कल्याण हि0 1/4, लादू पुत्र नारायण हि0 1/4 कौम अहीर, सा0देह दर्ज किया जाना उचित है। (नामान्तकरण सं0 81 दिनांक 25.06.98 के अनुसार) व ख0नं0 52 में भैरू सेडू सीताराम बोदू पि0 कल्याण हि0 3/4, लादू पुत्र नारायण हि0 1/4 कौम अहीर सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

दिनांक 30.03.2022 को वादी अधिवक्ता ने न्यायालय मे उपस्थित हो निवेदन किया कि यह पत्रावली वास्ते तहसीलदार रिपोर्ट नियत चल रही है। हालांकि पूर्व में दिनांक 17.09.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अतः वादी अधिवक्ता ने अंतिम बहस सुनने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार कर अंतिम बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि ग्राम–चकवाड़ी के खसरा नं0 34, 45, 52, 57 की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2047–50 के अनुसार भैरू, सेडू, सीताराम, बोदू पि0 कल्याण हि0 1/4, लादू पुत्र नारायण हि0 1/4, रामू पुत्र दूल्हा हि 1/2 कौम अहीर सा0देह के नाम से दर्ज थीं। उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 34, 45, 52, 57 में से आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में निहित वादी ने अपने हिस्से 1/2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20/12/1995 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को विक्रय कर दी। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हक में पंजीबद्ध कराये गये उक्त विक्रय पत्र व उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 81 के आधार पर खसरा नम्बर 52 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के 3/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन सहवन से राजस्व कारकूनान ने आगे की जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 बनाते समय उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर 34, 45, 57, 52 कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा के 3/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दी तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी लादू पुत्र नारायण के नाम यथावत दर्ज की हैं। जिसको वादी दुरुस्त कराकर आराजी खसरा नम्बर 34, 45, 57 कुल किता 3 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा पेश राजीनामे में व प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट में वाद पत्रों के कथनों का समर्थन किया है। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त भूमि बाबत् जो रैफरेन्स विचाराधीन है, उसमें न ही तो किसी भी अन्य न्यायलय की कार्यवाई पर रोक लगाई गई है व न ही रैफरेन्स चलते यह वाद Res-subjudice/Res-judicata की श्रेणी में आता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत राजीनामें व तहसीलदार रिपोर्ट के प्रकाश में अनुतोष प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

हमनें पूर्ण पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों, राजीनामें व तहसीलदार रिपोर्ट का पूर्ण व गहन अध्यन कर पाया कि इस वाद कि मूल विचारणीय तथ्य कि क्या वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हक में पंजीबद्ध कराये गये उक्त विक्रय पत्र व उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 81 के आधार पर खसरा नम्बर 52 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के 3/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करनी थी, जो कि सहवन से राजस्व कारकूनान ने आगे की जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 बनाते समय उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर 34, 45, 57, 52 कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा के 3/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

इस बिंदु पर प्रतिवादी ने अपने राजीनामें में सहमति प्रकट की, व तहसीलदार जयपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि "जमाबंदी संवत् 2059–62 बनते समय सहवन से कॉलम नं0 04 में ख0नं0 34, 45, 52, 57 की खातेदारी भैरू सेडू सीताराम बोदू पि0 कल्याण हि0

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर-शहर प्रथम

3/4, लादू पुत्र नारायण हि0 1/4 कौमं अहीर सा0देहं दर्ज हो गया। चूंकि नामा0 सं0 81 द्वारा मात्र ख0नं0 52 में बेचान किया गया था अतः नोट का अंकन भी ख0नं0 52 में ही किया जाना उचित था। परन्तु सहवन से ख0नं0 34, 45, 57 में भी नामा0 सं0 81 से हुये बेचान का इन्द्राज हो गया। अतः वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–78 में ख0नं0 34, 45, 57 में रामू पुत्र दूल्हा हि0 1/2, भैरू सेडू सीताराम बोदू पि0 कल्याण हि0 1/4, लादू पुत्र नारायण हि0 1/4 कौम अहीर, सा0देह दर्ज किया जाना उचित है।"

अतः यह विवाद का बिंदु कि क्या "वादी आराजी खसरा नम्बर 34, 45, 57 कुल किता 3 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है" admitted fact होने से पूर्णतः साबित होता है। सेक्शन 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती के तहत वादी ऐसी त्रुटि को जो राजस्व रिकार्ड में सहवन से हो गई हो, को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। अतः वादी द्वारा चाहा अनुतोष वैधानिक व वाजिब है।

जमाबंदी में अंकित नोट अनुसार यह पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 बाबत माफी मंदिर रैफरेन्स विचाराधीन है परन्तु उस रैफरेन्स के चलते न तो इस न्यायालय की कार्यवाई पर कोई रोक है ना ही यह वाद Res-subjudice/Res-judicata की श्रेणी में आता है। अतः न्यायालय वादी का वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामे दिनांक 23.05.2016 व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.09.2020 के अनुसार स्वीकार कर वादी को चाहा अनुतोष आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 57 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चक बासडी पटवार हल्का सरनो डूंगर तहसील व जिला जयपुर के 1/2 हिस्से का वादी रामू पुत्र दूल्हा को तथा उक्त आराजी में 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 भैरू, सेडू, सीताराम, बोदू पुत्र कल्याण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त घोषणा अनुसार जमाबंदी में नोट अंकन किया जावे तथा नामान्तकरण की कार्यवाही अन्य न्यायालयों के स्थगन आदेशों के अनुरूप नियमानुसार ही की जावें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 29/04/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

रामू पुत्र दूल्हा जाति अहीर निवासी ग्राम चक बाराडी, पटवार हल्का सरना डूंगर, तहसील व जिला जयपुर ।

..........वादी

बनाम

1. भैरू पुत्र कल्याण
2. सेडू पुत्र कल्याण
3. सीताराम पुत्र कल्याण
4. बोदू पुत्र कल्याण
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम चक बाराडी पटवार हल्का सरना डूँगर तहसील व जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 101/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्रीमती अरशदीप बराड** व हाजिरी वकील वादी मिंजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादी का वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामे दिनांक 23.05.2016 व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.09.2020 के अनुसार स्वीकार कर वादी को चाहा अनुतोष आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 57 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चक बाराडी पटवार हल्का सरना डूंगर तहसील व जिला जयपुर के 1/2 हिस्से का वादी रामू पुत्र दूल्हा को तथा उक्त आराजी में 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 भैरू, सेडू, सीताराम, बोदू पुत्र कल्याण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त घोषणा अनुसार जमांबंदी में नोट अंकन किया जावे तथा नामान्तकरण की कार्यवाही अन्य न्यायालयों के स्थगन आदेशों के अनुरूप नियमानुसार ही की जावे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....—.......... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... आज की

तारीख से तारीख अदायगी तक .... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/04/2... को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

दस्तखत ....
अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
ओहदा सहायक कलक्टर ....
जयपुर शहर प्रथम

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरीके जरिये दिखाया हो।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested